(44)

II/निग०/सीधी/2017/4765

269

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा [म.प्र.]

---

RS 301

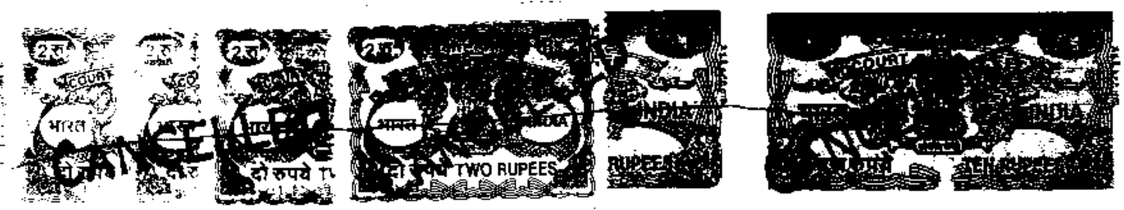

प्रेमलाल पाण्डेय तनय जगदीशराम पाण्डेय पेशा खेती उम्र 61 साल निवासी ग्राम खोरी तहसील बहरी जिला सीधी [म.प्र.] ------ निगरानीकर्ता

बनाम

सालिक रामपाण्डेय तनय श्रीलालमणि राम पाण्डेय उम्र 55 साल पेशा खेती निवासी ग्रामखोरी तहसील बहरी जिला सीधी [म.प्र.] ----- गैरनिगरानीकर्ता

पुनरीक्षण विरूद्ध न्यायालय राजस्व निरीक्षक मण्डल कुबरी तहसील बहरी जिला सीधी म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्र0 20/अ-12/2016-017 में पारित आदेश दिनांक 29.6.2017

---

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-रा. संहिता 1959

---

अधि. श्री राकेश तिवारी द्वारा पेश 29.11.17

मान्यवर,

निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण पेश है:---

1/ यह कि राजस्व निरीक्षक मण्डल कुबरी तहसील बहरी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी नं0 का सीमांकन कियागया जो विधि, प्रक्रिया, एवं सहज न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है।

2/ यह कि अधीनस्थ न्यायालय कार्यालय द्वारा किसी भी सरहद्दी काश्तकार को न तो नोटिस दीगयी और न ही किसीभीप्रकार से मौखिक एवं लिखित जानकारीनहीदी गयी। चोरी छिपे तौर पर अनावेदक द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमांकन करवा है। और निगरानीकर्ताको साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर न देते हुए विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो कतई स्थिर रखने योग्य नही है।

3/ यह कि निगरानीकर्ता/आवेदक उक्त वादग्रस्त भूमि पर दावा दायर

/2/

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4765 जिला–सीधी

**प्रेमलाल पाण्डेय/ सालिकराम पाण्डेय**

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 5-8-19 | आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मण्डल कुबरी, तहसील बहरी के प्रकरण क्रमांक 20/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।<br><br>(महेशचन्द्र चौधरी),<br>सदस्य | |